दिनांक :  .०१.२०१९

प्रति,

मा. गृहमंत्री,
भारत सरकार, नई देहली ११००११.

**विषय : भगवान हनुमान को मुसलमान, जाट, चीनी, खिलाडी आदि कहनेवालों पर कार्यवाही करने तथा देवताओं का अनादर रोकने के लिए कठोर कानून बनाने के संबंध में**

महोदय,

गत महीने में करोडों हिन्दुओं के श्रद्धास्थान, साक्षात भगवान शिव के अवतार और भक्ति के अत्युच्च प्रतीक श्रीरामभक्त हनुमानजी को विविध जाति-धर्म आदि के विशेषण देने तथा जाति जाति में विभाजित करने की मानो प्रतियोगिता हो रही है । भगवान हनुमान को कोई मुसलमान, कोई जाट, कोई चीनी, कोई खिलाडी तथा कोई वैश्य कह रहा है । इस प्रकार अपमानास्पद विधान करते हुए देवताओं का अनादर ही किया जा रहा है । हिन्दुओं के देवताओं का उपयोग इस प्रकार राजनीति के लिए करना अत्यंत गलत है एवं ऐसे विधान करनेवालों पर कानूनी कार्यवाही करना आवश्यक है । कानून का भय न होने के कारण अनेक लोग ऐसे विधान करने का साहस करते हैं ।

*** इस संदर्भ में गत कुछ दिनों के किए गए वक्तव्य आगे दे रहे हैं –**

१. भाजपा के मुसलमान नेता बुक्कल ने वक्तव्य किया कि 'हनुमानजी मुसलमान थे । इसलिए मुसलमानों में बच्चों के नाम रहमान, रमजान, फर्मान, जिशान, कुर्बान आदि रखे जाते हैं ।'

२. उत्तरप्रदेश की सांसद सावित्रीबाई फुले ने वक्तव्य किया कि 'राम मनुवादी थे और हनुमानजी मनुवादी लोगों के गुलाम थे । यदि हनुमानजी दलित नहीं थे, तो उन्हें मनुष्य क्यों नहीं बनाया ? उन्हें वानर ही क्यों बनाया ? वे दलित थे, इसलिए ऐसा किया गया । हनुमानजी एक मनुष्य थे; परंतु उन्हें वानर बनाया गया । यह सब भगवान राम ने किया ।

३. जैन मुनी निर्भय सागर महाराज ने विधान किया कि 'हनुमानजी जैन थे और वे जैनियों के १६९ लोगों में से एक थे ।

४. भूतपूर्व सांसद और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री. नंदकुमार साय ने कहा कि हनुमानजी 'अनुसूचित जनजाति' के थे ।

५. वर्तमान केंद्रीय मंत्री श्री. सत्यपाल सिंह ने हनुमानजी को 'आर्य' कहा है ।

६. अलवर, राजस्थान के विधायक ज्ञानदेव आहुजा ने हनुमान को 'घोटेवाला सांड' संबोधित किया ।

७. भाजपा के सांसद हरि ओम पांडे ने विधान किया कि 'हनुमानजी ब्राह्मण थे और जटायु मुसलमान था ।'

८. भाजपा सांसद उदित राज ने पहले कहा कि वैज्ञानिक और पुरातत्त्वीय दृष्टिकोण से देखें तो हनुमानजी का कोई अस्तित्व नहीं था । इस संबंध में एक और दृष्टिकोण देते हुए वे बोले कि वे जंगल में रहते थे अर्थात वे आदिवासी थे ।

९. समाजवादी दल के विधायक शतरुद्र ने हनुमानजी को 'वनवासी' और 'गिरीवासी' कहा ।

१०. उत्तर प्रदेश धर्मार्थ कार्य और संस्कृति मंत्री चौधरी लक्ष्मीनारायण सिंह ने हनुमानजी को 'जाट' कहा ।

११. भूतपूर्व क्रिकेट खिलाडी और भाजपा सांसद कीर्ति आजाद ने तो कहा कि हनुमान चीन से आए थे, इसलिए वे चीनी थे ।

१२. उत्तर प्रदेश के क्रीडा और युवा मंत्री चेतन चौहान ने कहा कि हनुमानजी कुश्ती खेलते थे, वे खिलाडी थे ।

अनेकों ने भगवान हनुमानजी के संबंध में इतने वक्तव्य किए हैं कि यह सूची और बढ सकती है । यह दुरावस्था हिन्दू नेताओं का हिन्दू धर्म के प्रति अज्ञान दर्शाती है; परंतु इस प्रकार के विधान करना भगवान हनुमानजी

का घोर अपमान है । हनुमानजी का ऐसा अनादर करनेवालों के विरोध में कार्यवाही होना आवश्यक है । समाज के उत्तरदायी व्यक्ति यदि देवताओं के संबंध में इस प्रकार के विधान करेंगे, तो समाजमन पर उसका क्या परिणाम होगा, यह विचार भी ये लोग नहीं करते । इस प्रकरण में अयोध्या स्थित हनुमानगढी मंदिर के महंत राजू दास ने चेतावनी दी है कि 'भविष्य में यदि कोई हनुमानजी के संबंध में ऐसे विधान करेगा, तो उन पर अभियोग प्रविष्ट किया जाएगा ।' इन नेताओं के कारण हिन्दू संत-महंतों को ऐसा कहना पड रहा है । देवताओं का अनादर करना महापाप है । इससे धर्म की हानि होती है तथा यह धर्महानि रोकना हिन्दुओं का कर्तव्य ही है ।

इससे पूर्व भी 'ओ माई गॉड', 'पीके' आदि अनेक चलचित्रों में देवताओं का अनादर किया गया है । उनके विरोध में अनेक स्थानों पर आंदोलन हुए, शिकायतें प्रविष्ट की गईं, तब भी इन चलचित्रों पर अथवा अन्य किसी पर कोई कार्यवाही नहीं हुई । हिन्दूद्रोही चित्रकार म.फि. हुसैन जैसे अनेक चित्रकारों ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर देवताओं के अनेक अश्लील और आपत्तिजनक चित्र बनाए, अनेक देवी-देवताओं को नग्न रूप में चित्रित किया, भारतमाता का भी नग्नचित्र भी बनाया, उन पर १२०० से अधिक शिकायतें की गई; परंतु उन पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई थी । इसी प्रकार विज्ञापनों के माध्यम से भी देवताओं का खुलकर अनादर किया जाता है । ऐसी घटनाएं हिन्दुओं के मन में असंतोष बढा रही हैं ।

भाषणस्वतंत्रता, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, कलास्वतंत्रता आदि के नाम पर हिन्दुओं की धार्मिक भावनाएं जानबूझकर आहत की जा रही हैं । इस प्रकार के कृत्यों पर कानूनी अंकुश न होने के कारण इन लोगों को अवसर मिल जाता है । वर्तमान भारतीय दंड संहिता में 'धारा २९५ अ' धार्मिक भावनाएं आहत करने के संदर्भ में धारा है; परंतु इस धारा में उपरोक्त कृत्यों का विवरण नहीं दिया गया है । इसलिए अधिकतर प्रसंगों में देवताओं के अनादर की घटनाओं में कानूनी कार्यवाही नहीं की जाती ।

*** इस प्रकरण में हमारी निम्नांकित मांगे हैं –**

१. हनुमानजी को मुसलमान, जाट, चीनी, खिलाडी आदि कहनेवालों पर कठोर कार्यवाही की जाए, जिससे अन्य देवताओं के संबंध में ऐसा बोलने का कोई साहस नहीं करेगा ।

२. इस संदर्भ में वर्तमान कानून पर्याप्त नहीं है । केंद्र सरकार भाषण, नाटक, चलचित्र, विज्ञापन, काव्य, चित्र, सामाजिक माध्यम आदि द्वारा हिन्दू धर्म, धर्मग्रंथ, देवता और संतों का हो रहा अनादर और अपमान रोकने के लिए शीघ्रातिशीघ्र नए कठोर कानून बनाए तथा उन्हें तत्काल लागू करे ।

आपका विश्वासपात्र,

(संपर्क : )